

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या-02/शमन-07(A)/2015/परि 4507A


पटना, दिनांक-09/09/2015

आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-915 दिनांक 27.08.2015 द्वारा आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 200 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 6 (छः) माह के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 एवं 190 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की जाती है। शमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी।

क्रमांक	पदाधिकारियों का नाम/पदनाम	कार्य क्षेत्र
1	श्री रामाशीष राम, विशिष्ट पदाधिकारी, अनुभाजन, पटना	पटना शहरी क्षेत्र
2	श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता	पटना शहरी क्षेत्र
3	श्री अजय कुमार, अपर जिला दण्डाधिकारी, आपूर्ति, पटना	पटना शहरी क्षेत्र
4	श्री विरेन्द्र कुमार पासवान, अपर समाहर्ता, विशेष कार्यक्रम	पटना शहरी क्षेत्र
5	श्री विनोद आनन्द, वरीय उप समाहर्ता	पटना शहरी क्षेत्र
6	श्री पंकज कुमार, उप अनुभाजन पदाधिकारी, पटना	पटना शहरी क्षेत्र
7	श्री संतोष कुमार श्रीवारत्तव, अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना	पटना शहरी क्षेत्र
8	श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, वरीय उप समाहर्ता, पटना	पटना शहरी क्षेत्र
9	श्री कमलेश कुमार सिंह, वरीय उप समाहर्ता, पटना	पटना शहरी क्षेत्र
10	श्री सुभाष चन्द्र मंडल, वरीय उप समाहर्ता, पटना	पटना शहरी क्षेत्र
11	मो० मकसूद आलम, वरीय उप समाहर्ता, पटना	पटना शहरी क्षेत्र
12	श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा, वरीय उप समाहर्ता, पटना	पटना शहरी क्षेत्र
13	श्री अनुज कुमार, वरीय उप समाहर्ता, पटना	पटना शहरी क्षेत्र
14	श्री मनोज कुमार झा, वरीय उप समाहर्ता, पटना	पटना शहरी क्षेत्र
15	श्री मनोज कुमार, वरीय उप समाहर्ता, पटना	पटना शहरी क्षेत्र
16	श्री अमरेश कुमार अमर, वरीय उप समाहर्ता, पटना	पटना शहरी क्षेत्र
17	श्री अवधेश राम, निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	पटना शहरी क्षेत्र
18	श्री कुमार मिथिलेश प्रसाद सिंह, भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर	पटना शहरी क्षेत्र
19	श्री वृन्दा लाल, भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर	पटना शहरी क्षेत्र
20	श्री ललित भूषण रंजन, भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी	पटना शहरी क्षेत्र

2. आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना अपने नियंत्रणाधीन उपरोक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों द्वारा वसूल की गयी शमन की राशि के संबंध में पदाधिकारीवार प्रतिवेदन प्रतिमाह परिवहन विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उपर्युक्त पदाधिकारियों के कार्यकलाप की समीक्षा भी की जाएगी। मामलों के समीक्षोपरांत ही अगले छः माह के बाद अवधि विस्तार पर विचार किया जाएगा।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से।

  
19/9/15  
प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।